

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 444(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ प्रठित धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्य के अभिलेख रखने, उन्हें रखने की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने के समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों के सत्यापन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुष्णण, अनुष्णण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुष्णण) नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;
- (ख) "ग्राहक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के साथ किसी वित्तीय संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगा है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसकी ओर से जो संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगा है ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा है ;
- (ग) "निदेशक" से अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;
- (घ) "शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज" से पासपोर्ट, चालन अनुज्ञप्ति, स्थाई खाता संख्यांक (पैन) कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र या बैंककारी कंपनी अथवा वित्तीय संस्था अथवा मध्यवर्ती द्वारा यथा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है ;
- (ङ) "विहित मूल्य" से इन नियमों के अधीन विहित संव्यवहार का मूल्य अभिप्रेत है ;
- (च) "प्रधान अधिकारी" से, यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती द्वारा अभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (छ) "संदेहास्पद संव्यवहार" से ऐसा कोई संव्यवहार अभिप्रेत है चाहे उसे नकद में किया गया हो अथवा नहीं, जो किसी सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति को-

- (क) यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार प्रदान करता है कि इसमें किसी अपराध के आगम अंतर्दलित हो सकते हैं ; या

- (ख) किसी असामान्य या अनुचित रूप से जटिल परिस्थितियों में किए गए प्रतीत होते हैं ; या
- (ग) बिना किसी आर्थिक संगतता या सद्भावपूर्ण प्रयोजन के प्रतीत होते हैं ;

(ज) "संव्यवहार" के अन्तर्गत जमा करना, निकालना, निधियों का विनिमय या अंतरण चाहे किसी भी मुद्रा में हो, चाहे नकद या बैंक में हो, संदाय आदेश या अन्य लिखत या इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य अर्थात् साधन द्वारा है।

(2) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में है।

3. अंतरण के अभिलेखों (प्रकृति और मूल्य) का अनुसरण -

(1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती निम्नलिखित अभिलेख रखेंगे,-

(क) दस लाख रुपए या किसी विदेशी करेंसी में उसके समतुल्य से अधिक मूल्य के सभी नकद संव्यवहार ;

(ख) नकद संव्यवहारों की संपूर्ण श्रृंखला जो एक दूसरे से अमिन्न रूप से जुड़े हैं और जिनका मूल्य दस लाख रुपए या किसी विदेशी करेंसी में उसके समतुल्य से कम आंका गया है, जहां संव्यवहारों की ऐसी श्रृंखला एक मास के भीतर की जाती है ;

(ग) ऐसे सभी नकद संव्यवहार जहां कूटरचित या कूटकृत मुद्रा नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में प्रयोग किया गया है और जहां किसी मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना की गई है ;

(घ) सभी संदेहास्पद संव्यवहार चाहे उन्हें नकद अथवा निम्नलिखित द्वारा किया गया है या नहीं और :

(i) किसी भी खाते में या उसमें से, चाहे उन्हें किसी भी मुद्रा किसी भी नाम से प्रति निर्दिष्ट किया गया है और जिन्हें निम्नलिखित द्वारा रखा गया है, जमा और क्रेडिट, निकाला जाना ;

(क) तृतीय पक्षकार बैंकों सहित बैंकों, संदाय आदेशों, मांग देय ड्राफ्टों, शेकड्रिया बैंकों या इलेक्ट्रॉनिक रसीदों सहित धन संदाय कि किसी अन्य लिखित या क्रेडिटों और इलेक्ट्रॉनिक संदायों या जमा, या

(ख) यात्री बैंकों, या

(ग) यथास्थिति, समान बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती में एक खाते में से अंतरण जिसके अंतर्गत अस्मदीय और भवदीय खाते भी हैं, या

(घ) अन्य कोई रीति में चाहे उसका जो भी नाम निर्दिष्ट किया जाए ;

(ii) यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती द्वारा किसी भी करेंसी में रखे गए किसी गैरमौद्रिक खाते जैसे डी-मेट खाता, प्रतिभूति खाते में से जमा या नामे ;

(iii) भारत या विदेश से अपने ग्राहक या गैर ग्राहकों के पक्ष में धन अंतरण या प्रेषण का संव्यवहार या तृतीय पक्षकार के हिताधिकारियों को भारत या विदेश में जिसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा किसी भी करेंसी में अपने खाते में संव्यवहार भी है :-

- (क) संदाय आदेश, या
- (ख) चेक, या
- (ग) मांग देय ड्राफ्ट या
- (घ) तार या वायर अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण या अंतरण, या
- (ङ) इंटरनेट अंतरण, या
- (च) ऑटोमैटिक समाशोधन गृह प्रेषण, या
- (छ) लॉक बक्स चालित अंतरण या प्रेषण या
- (ज) जमा के लिए प्रेषण या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का भरण, या
- (i) किसी अन्य रीति से धन का अंतरण, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

(iv) निम्नलिखित द्वारा उधार और अग्रिम जिसमें जमा या उधार स्थानापन्न, विनिधान और समाश्रित दायित्व भी है :

(क) जैसे-वाणिज्यिक कागजपत्र, निक्षेप प्रमाण पत्र, अधिमानी शेयर, डिबेंचर प्रतिभूति सहभागिता, अन्तर बैंक सहभागिता या प्रतिभूति में कोई अन्य विनिधान जैसे उधार लिखतों का अभिदाय या वैसे ही चाहे किसी प्ररूप में और नाम से निर्दिष्ट हो, या

- (ख) बिलों, चैकों और अन्य लिखतों के क्रय या पराक्राम्य, या
- (ग) विदेशी मुद्रा संविदा, करेंसी, ब्याज दर और वाणिज्या तथा कोई अन्य व्युत्पन्न लिखत चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या
- (घ) प्रत्यय पत्रों, प्रत्यय पत्रों का समकक्ष, प्रत्याभूति, आश्वासन पत्र, शोधन क्षमता प्रमाण पत्र और निपटान के लिए कोई अन्य लिखत और/या प्रत्यय समर्थन ;

(v) बिलों, चैकों, लिखतों या संग्रहण के किसी अन्य रीति चाहे वह किसी भी नाम से निर्दिष्ट हो, के संग्रहण, द्वारा किसी करेंसी में संग्रहण सेवाएं ।

4. सूचना अंतर्विष्ट करने वाले अभिलेख - नियम 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी :-

- (क) संव्यवहारों की प्रकृति ;
- (ख) संव्यवहार की राशि और वह करेंसी जिसमें इसे अंकित किया गया है ;
- (ग) वह तारीख जिसको संव्यवहार किया गया था ; और
- (घ) संव्यवहार के पक्षकार ।

5. सूचना रखने की प्रक्रिया और रीति - (1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली प्रक्रिया और रीति के अनुसार नियम 3 में निर्दिष्ट अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहारों के संबंध में हार्ड और सॉफ्ट कॉपियों में सूचना रखेंगे।
- (2) प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती ऐसे रूप में और ऐसे अंतरालों, जिन्हें यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, पर ऐसी सूचना रखने के लिए आंतरिक तंत्र का सृजन करेंगे।
- (3) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, का यह कर्तव्य होगा कि वह यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की जाने वाली सूचना रखने की प्रक्रिया और रीति का पालन करे।
6. अभिलेखों का प्रतिघारण - नियम 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों को, ग्राहक और यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती के बीच हुए संव्यवहारों की समाप्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।
7. सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और रीति - यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, निदेशक को प्रधान अधिकारी के नाम, पदनाम और पते की सूचना देगा।
- (2) प्रधान अधिकारी, यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर निदेशक को नियम 3 में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करेगा। ऐसी सूचना की एक प्रति प्रधान अधिकारी द्वारा शासकीय अभिलेख के लिए धारित की जाएगी।
- (3) प्रत्येक बैंककारी कंपनी वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती नियम 3 में निर्दिष्ट सूचना को ऐसे रूप में और ऐसे अंतरालों, जिन्हें यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, पर ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक तंत्र का सृजन करेंगे।
- (4) प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, का यह कर्तव्य होगा कि वह यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड द्वारा उपनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट की जाने वाली नियम 3 में निर्दिष्ट सूचना रखने की प्रक्रिया और रीति का पालन करे।
8. निदेशक को सूचना प्रस्तुत करना - यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती का प्रधान अधिकारी, प्रत्येक मास निदेशक को नियम 3 में निर्दिष्ट ऐसे संव्यवहारों की बाबत, जो नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) और खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहारों से भिन्न हैं, सूचनाएं आगामी मास की 7 तारीख तक देगा:
- परंतु नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में सूचना शीघ्रता से, जो ऐसे संव्यवहार के होने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के अपरचात् नहीं होगा, लिखित में या फैक्स द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक डाक से निदेशक को दी जाएगी।
9. ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन, - (1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती किसी खाते को खोलते समय या इसके साथ किसी संव्यवहार के करने के समय ग्राहक की पहचान के अभिलेखों और ग्राहक का वर्तमान पता या पत्तों, जिसके अन्तर्गत स्थायी पता या पते हैं, ग्राहक के व्यापार की प्रकृति और उसकी वित्तीय प्रास्थिति का सत्यापन करेगी और उनको रखेगी।

परंतु जहाँ ग्राहक की पहचान का सत्यापन, खाता खोलने के समय या किसी संव्यवहार के करने के समय संभव न हो, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती की पहचान का सत्यापन खाते के खोलने या संव्यवहार को निष्पादित करने के पश्चात् युक्ति-युक्त समय के भीतर करेगा ।

- (2) जहाँ ग्राहक कोई व्यक्ति है, वहाँ वह उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती को शासकीय विधिमान्य दस्तावेज जिसमें उसका स्थायी पता, वर्तमान पता या पते के बारे में अंतर्विष्ट हों और अपनी नवीनतम फोटोग्राफ की एक प्रति तथा ऐसे अन्य दस्तावेज जिसके अंतर्गत ग्राहक के व्यापार की प्रकृति भी है और वित्तीय प्रास्थिति से संबंधित दस्तावेज भी हैं जिनकी, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के द्वारा अपेक्षा की जाए, देगा ।
- (3) जहाँ ग्राहक कोई कंपनी है, वहाँ वह उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती को निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा :
- (i) निगमन का प्रमाण पत्र ;
 - (ii) ज्ञापन और संगम अनुच्छेद ;
 - (iii) निदेशकों के बोर्ड से प्राप्त संकल्प और इसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को इस निमित्त संव्यवहार करने के लिए दिए गए मुख्तारनाम, और
 - (iv) इस निमित्त संव्यवहार के लिए मुख्तारनामा धारक प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों की बाबत कोई शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ।
- (4) जहाँ ग्राहक कोई भागीदारी फर्म है, वहाँ वह उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती को निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा :
- (i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ;
 - (ii) भागीदारी विलेख ; और
 - (iii) इस निमित्त संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति की बाबत कोई शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ।
- (5) जहाँ ग्राहक कोई न्यास है, वहाँ वह उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था, मध्यवर्ती को निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा :
- (i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ;
 - (ii) न्यास विलेख ; और
 - (iii) उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति की बाबत कोई शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ।
- (6) जहाँ ग्राहक कोई अनिगमित संगम या व्यष्टियों का एक निकाय है, वहाँ वह बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती को निम्नलिखित दस्तावेजों की तीन प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा :
- (i) ऐसे संगम या व्यष्टियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प ;
 - (ii) उसे उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा ;
 - (iii) इस निमित्त संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति की बाबत कोई शासकीय विधिमान्य दस्तावेज ;

- (iv) ऐसे किसी संगम या व्यष्टियों के निकाय के विधिक अस्तित्व को सामूहिक रूप से सिद्ध करने के लिए ऐसी अन्य सूचनाएँ जो बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती द्वारा अपेक्षित की जा सके।
- (7) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, ग्राहक पहचान कार्यक्रम को तैयार करेगा और उसका कार्यान्वयन करेगा, जिसमें इस नियम के पूर्वगामी उपनियमों की अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा और ऐसी अन्य अतिरिक्त अपेक्षाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिन्हें वह ग्राहकों की सही पहचान को निश्चित करने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने हेतु समुचित समझता है। ग्राहक पहचान कार्यक्रम की एक प्रति निदेशक को भेजी जाएगी।
10. ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों को रखना-
- (1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती अपने ग्राहकों की पहचान के अभिलेख रखेगी।
- (2) ग्राहकों की पहचान के अभिलेख समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में हार्ड और सॉफ्ट कॉपियों में रखे जाएंगे।
- (3) ग्राहकों की पहचान के अभिलेख, ग्राहक और यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के मध्य संव्यवहार की समाप्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे।
11. निर्वचन -

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

[अधिसूचना सं. 9/2005/फा. सं. 6/2/2004-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005

G.S.R. 444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules for maintenance of records of the nature and value of transactions, the procedure and manner of maintaining and time for furnishing of information and verification of records of the identity of the clients of the banking companies, financial institutions and intermediaries, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003);
 - (b) "client" means a person that engages in a financial transaction or activity with a banking company, or financial institution or intermediary and includes a person on whose behalf the person that engages in the transaction or activity, is acting;
 - (c) "Director" means the Director appointed under sub-section (1) of section 49 of the Act for the purposes of sections 12 and 13 of the Act;
 - (d) "officially valid document" means the passport, the driving licence, the Permanent Account Number (PAN) Card, the Voter's Identity Card issued by the Election Commission of India or any other document as may be required by the banking company, or financial institution or intermediary;
 - (e) "prescribed value" means the value of transaction prescribed under these rules;
 - (f) "Principal Officer" means an officer designated by a banking company, financial institution and intermediary, as the case may be;
 - (g) "suspicious transaction" means a transaction whether or not made in cash which, to a person acting in good faith –
 - (a) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve the proceeds of crime; or
 - (b) appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity; or
 - (c) appears to have no economic rationale or bonafide purpose;
 - (h) "transaction" includes deposit, withdrawal, exchange or transfer of funds in whatever currency, whether in cash or by cheque, payment order or other instruments or by electronic or other non-physical means.
- (2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. **Maintenance of records of transactions (nature and value).** –
- (1) Every banking company or financial institution or intermediary, as the case may be, shall maintain a record of, –

- (A) all cash transactions of the value of more than rupees ten lakhs or its equivalent in foreign currency;
- (B) all series of cash transactions integrally connected to each other which have been valued below rupees ten lakhs or its equivalent in foreign currency where such series of transactions have taken place within a month;
- (C) all cash transactions where forged or counterfeit currency notes or bank notes have been used as genuine and where any forgery of a valuable security has taken place;
- (D) all suspicious transactions whether or not made in cash and by way of :
- (i) deposits and credits, withdrawals into or from any accounts in whatsoever name they are referred to in any currency maintained by way of :
- (a) cheques including third party cheques, pay orders, demand drafts, cashiers cheques or any other instrument of payment of money including electronic receipts or credits and electronic payments or debits, or
- (b) travellers cheques, or
- (c) transfer from one account within the same banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, including from or to Nostro and Vostro accounts, or
- (d) any other mode in whatsoever name it is referred to;
- (ii) credits or debits into or from any non-monetary accounts such as d-mat account, security account in any currency maintained by the banking company, financial institution and intermediary, as the case may be;
- (iii) money transfer or remittances in favour of own clients or non-clients from India or abroad and to third party beneficiaries in India or abroad including transactions on its own account in any currency by any of the following:-
- (a) payment orders, or
- (b) cashiers cheques, or
- (c) demand drafts, or
- (d) telegraphic or wire transfers or electronic remittances or transfers, or
- (e) internet transfers, or

- (f) Automated Clearing House remittances, or
 - (g) lock box driven transfers or remittances, or
 - (h) remittances for credit or loading to electronic cards, or
 - (i) any other mode of money transfer by whatsoever name it is called;
- (iv) loans and advances including credit or loan substitutes, investments and contingent liability by way of:
- (a) subscription to debt instruments such as commercial paper, certificate of deposits, preferential shares, debentures, securitised participation, inter bank participation or any other investments in securities or the like in whatever form and name it is referred to, or
 - (b) purchase and negotiation of bills, cheques and other instruments, or
 - (c) foreign exchange contracts, currency, interest rate and commodity and any other derivative instrument in whatsoever name it is called, or.
 - (d) letters of credit, standby letters of credit, guarantees, comfort letters, solvency certificates and any other instrument for settlement and/or credit support;
- (v) collection services in any currency by way of collection of bills, cheques, instruments or any other mode of collection in whatsoever name it is referred to.
4. **Records containing Information –** The records referred to in rule 3 shall contain the following information:-
- (a) the nature of the transactions;
 - (b) the amount of the transaction and the currency in which it was denominated;
 - (c) the date on which the transaction was conducted; and
 - (d) the parties to the transaction.
5. **Procedure and manner of maintaining information. –** (1) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall maintain information in respect of transactions with its client referred to in rule 3 in hard and soft copies in accordance with the procedure and manner as may be specified by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India, as the case may be, from time to time.

- (2) **Every banking company, financial institution and intermediary, shall evolve an internal mechanism for maintaining such information in such form and at such intervals as may be specified by the Reserve Bank of India, or the Securities and Exchange Board of India, as the case may be, from time to time.**
- (3) **It shall be the duty of every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, to observe the procedure and the manner of maintaining information as specified by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India, as the case may be, under sub-rule (1).**
6. **Retention of records** – The records referred to in rule 3 shall be maintained for a period of ten years from the date of cessation of the transactions between the client and the banking company, financial institution or intermediary, as the case may be.
7. **Procedure and manner of furnishing information.** – (1) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall communicate the name, designation and address of the Principal Officer to the Director.
- (2) The Principal Officer shall furnish the information referred to in rule 3 to the Director on the basis of information available with the banking company, financial institution and intermediary, as the case may be. A copy of such information shall be retained by the Principal Officer for the purposes of official record.
- (3) Every banking company, financial institution and intermediary may evolve an internal mechanism for furnishing information referred to in rule 3 in such form and at such intervals as may be directed by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India, as the case may be.
- (4) It shall be the duty of every banking company, financial institution and intermediary to observe the procedure and the manner of furnishing information referred to in rule 3 as specified by the Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India under sub-rule (3), as the case may be.
8. **Furnishing of information to the Director.** – The Principal Officer of a banking company, the financial institution and intermediary, as the case may be, shall furnish the information in respect of transactions referred to in rule 3 every month to the Director by the 7th day of the succeeding month other than transactions referred to in clauses (C) and (D) of sub-rule (1) of rule 3:

Provided that information in respect of transactions referred to in clauses (C) and (D) of sub-rule (1) of rule 3 shall be promptly

furnished in writing or by way of fax or electronic mail to the Director not later than three working days from the date of occurrence of such transactions.

9. **Verification of the records of the identity of clients.** – (1) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall, at the time of opening an account or executing any transaction with it, verify and maintain the record of identity and current address or addresses including permanent address or addresses of the client, the nature of business of the client and his financial status;

Provided that where it is not possible to verify the identity of the client at the time of opening an account or executing any transaction, the banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall verify the identity of the client within a reasonable time after the account has been opened or the transaction has been executed.

- (2) Where the client is an individual, he shall for the purpose of sub-rule (1) submit to the banking company or the financial institution or the intermediary, as the case may be, one certified copy of an officially valid document containing details of his permanent address or addresses, current address or addresses, and one copy of his recent photograph and such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the client as may be required by the banking company or the financial institution or the intermediary, as the case may be.
- (3) Where the client is a company, it shall for the purposes of sub-rule (1) submit to the banking company or financial institution or intermediary, as the case may be, three certified copies of the following documents :
- (i) Certificate of incorporation;
 - (ii) Memorandum and Articles of Association;
 - (iii) a resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; and
 - (iv) an officially valid document in respect of managers, officers or employees holding an attorney to transact on its behalf.
- (4) Where the client is a partnership firm, it shall for the purposes of sub-rule (1) submit to the banking company, or the financial institution, or the intermediary three certified copies of the following documents:
- (i) registration certificate;
 - (ii) partnership deed; and

- (iii) an officially valid document in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf.
- (5) Where the client is a trust, it shall, for the purposes of sub-rule (1) submit to the banking company, or the financial institution, or the intermediary three certified copies of the following documents:
- (i) registration certificate;
 - (ii) trust deed; and
 - (iii) an officially valid document in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf.
- (6) Where the client is an unincorporated association or a body of individuals, it shall submit to the banking company, or the financial institution or the intermediary three copies of the following documents:
- (i) resolution of the managing body of such association or body of individuals;
 - (ii) power of attorney granted to him to transact on its behalf;
 - (iii) an officially valid document in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf; and
 - (iv) such information as may be required by the banking company or the financial institution or the intermediary to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals.
- (7) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall formulate and implement a client identification programme which shall incorporate the requirements of the foregoing sub-rules of this rule, and such other additional requirements that it considers appropriate to enable it to determine the true identity of its clients. A copy of the client identification programme shall be forwarded to the Director.
- 10. Maintenance of the records of the identity of clients.** – (1) Every banking company or financial institution or intermediary, as the case may be, shall maintain the records of the identity of its clients.
- (2) The records of the identity of clients shall be maintained in hard and soft copies in a manner as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time.

- (3) The records of the identity of clients shall be maintained for a period of ten years from the date of cessation of the transactions between the client and the banking company or financial institution or intermediary, as the case may be.

11. **Interpretation.** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final.

[Notification No. 9/2005/F.No. 6/2/2004-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 445(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (ब) के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, प्ररूपों, तलाशी और अभिग्रहण तथा कारणों की प्रति और तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित सामग्री अग्रेषित करने की रीति, तथा व्यक्ति की तलाशी, अभिलेखों को परिबद्ध करने और उनकी अभिरक्षा तथा उनके प्रतिधारण की अवधि के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्ररूपों, तलाशी और अभिग्रहण तथा कारणों और सामग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों को परिबद्ध करने और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण की अवधि) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) "न्याय निर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए "प्राधिकारी" से निदेशक का कोई अधीनस्थ अधिकारी अभिप्रेत है, और जो अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक द्वारा प्राधिकृत है ;